मनोहर vs सरकार
वाद सं. 17/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/12	[illegible] दर्ज किया गया। [illegible] सुनवाई दिनांक 20.12.12 को पेश हो।	
20/12/12	वकील वादी एवं पैरोकार हाजिर, नोटिस तामिल उपलब्ध। वादी को [illegible] प्रतिवादी तहसीलदार कोई जवाब पेश नहीं करते। [illegible] पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26.12.12 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.	[illegible] इसमें
26/12	पत्रावली प्रस्तुत हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8.1.13 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.	
8.1.13	वकील वादी एवं पैरोकार हाजिर। उपरोक्त वाद वादी डिक्री किया जाता है [illegible] निर्णय [illegible] से [illegible] शामिल [illegible]। पत्रावली फैसल हुई [illegible] उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

15

किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जावे तथा वादी को ख०न० 133/0.24 वाके ग्राम नीमली तहसील नगर पर हो रहे इन्द्राज को बदस्तूर रखते हुए जुहरखॉ, मुहरखॉ, मीहर सिंह, चॉदमल पिसरान बख्तावर व हिस्सा 1/6 के बाद वादी मानसिंह पुत्र साहब को 1/6 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि वादी द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध दावा लाने से पूर्व धारा 80CPC का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो नहीं दिया गया है। हाल ख०नं० 133/0.24 में सामिल ख.नं. 123 रकबा 4 बिस्वा को मिलाया जाना मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है, जिसके आधार पर वादी का नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं है। वादी को प्रतिवादी द्वारा कोई धमकी नहीं दी है। वादी का नाम सामिल ख०नं० 123 के आधार पर हाल ख.नं.133 में जोड़ा जाना चाहिए।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीह कायम की गई –

1. आया सामिल ख०न०नं 123 मि० रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम नीमली का नामा० नं 60 दि० 10-8-67 से खातेदार दर्ज होकर काबिज है ?
   – जिम्मे वादी
2. आया सामिल ख.नं 123 मि० रकबा 4 बिस्वा को दौराने रि. प्रबंध हाल ख.नं 133/0.24 वाके ग्राम नीमली में शामिल कर दिया, जिसमें वादी सामिल के मुताबिक रहे 1/6 पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है ?
   – जिम्मे वादी
3. आया वादी ने सरकार के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 CPC का नोटिस नहीं दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है ?
4. दादरसी ?
   – जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2064-67 EX1, नकल जमाबन्दी सं० 2014-16 EX2, नकल नामा० नं 53 व 54 EX3 व 4, नकल बयनामा दिनांक 6-9-66 EX5, नकल नक्शा-EX6, नकल जमाबन्दी सं० 2025-28 EX7, नकल [illegible] डोगपाल EX8 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक [illegible] मानसिंह PW1, जमाल ईशाक PW2, दाऊ PW3 के [illegible] किये हैं।

इसमें वादी के विद्वान अभिभाषक एवं पैनल सरकार की बहस सुनी, बहस के दौरान दिये गये तर्कों पर गौर किया तथा पत्रावली का शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पैनल सरकार का मुख्य तर्क यह रहा है कि वादी ने राज्य सरकार के विरुद्ध दावा-

उड अधिकारी
(भरतपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दायर करने से पूर्व धारा 80 CPC का नोटिस नहीं दिया है, जबकि कानूनन नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जिससे वादी का दावा मेन्टेनेबल नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से साबित होता है कि वादी ने बवक्त दावा दायरी प्रार्थना पत्र धारा 80(2) CPC प्रस्तुत कर न्यायालय से दावा दर्ज करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी जो पत्रावली में शामिल है। अतः पैरोकार सरकार की यह आपत्ति खारिज की जाती है तथा तनकी नं. 3 प्रतिवादी पैरोकार सरकार के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

नकल जमाबंदी सं. 2014-17 के खाता सं. 32 पर साबिक ख.नं. 123 मि. रकबा 04 बिस्वा की बाबत - "इल्ला वल्द गज्जा कौम जिन्दावड़ा साकिन ढंडारा गैर मौरूसी खाल 5" दर्ज होना पाया जाता है। नकल नामा. सं. 53 दिनांक 15.9.66 के अनुसार उक्त विवादित साबिक ख.नं. 123 मि. अन्य आराजी किता 8 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा के साथ इल्ला की बजाय जरिए विरासत - "मु. धापा बेवा इल्ला कौम जिन्दावड़ा साकिन ढंडारा गैर खातेदार" दर्ज होना साबित है, तथा नकल नामा सं. 54 दिनांक 9.9.66 के अवलोकन से विवादित आराजी ख.नं. 123 मि. रकबा 4 बिस्वा को - "मु. धापा बेवा इल्ला कौम जिन्दावड़ा साकिन ढंडारा खातेदार" दर्ज होना साबित होता है। नकल बयनामा दिनांक 6.9.66 के अनुसार साबिक ख.नं. 42 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, 90 रकबा 2 बीघा-13 बिस्वा तथा ख.नं. 123 मि. रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नौगजी का बेचान मु. धापा बेवा इल्ला द्वारा वादी गजासिंह वल्द चाहत कौम मेव के पक्ष में किया जाना साबित होता है। नकल जमाबंदी सं. 2025-28 के खाता सं. 13 पर साबिक आ.ख.नं. $\frac{42}{3-11}$, $\frac{90}{2-13}$, $\frac{123मि.}{0-04}$ किता 3 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा पर - "गजासिंह वल्द चाहत कौम मेव सा. डेह खातेदार (इं.नं. 60)" दर्ज होना पाया जाता है। इस प्रकार उक्त विवेचन से वादी गजासिंह साबिक ख.नं. 123 मि. रकबा 4 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार साबित होता है। नकल लेखा पत्रक पुनः प्रबंध मिलान 6x8 के अनुसार हाल ख.नं. $\frac{133}{0.24}$ को साबिक ख.नं. 123 मि. रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा तथा 123 मि. रकबा 4 बिस्वा से मिलाकर बनाया जाना साबित होता है, तथा खतौनी नं. 23-24 ग्राम कुम्हेर ग्राम व हाल में - "चाहत वगै० गैर खातेदार खा.नं. 39 गजासिंह वल्द चाहत कौम मेव सा. डेह खातेदार) 1/4 दर्ज होना पाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादी गजासिंह हाल ख.नं. 133 में 4 बिस्वा का खातेदार दर्ज है जो कि 1/6 हिस्सा बनता है। नकल जमाबंदी सं. 2064-67 के ख.नं. $\frac{133}{0.24}$ वाके ग्राम नौगजी की बाबत - "चाहत वल्द पेटला 1/12 छोटे खाँ वल्द पेटला 1/12 [illegible] 1/12 कल्लू वल्द धरजमल 1/12, उस्मान वल्द [illegible] मोहर सिंह [illegible] नि. भरतनगर [illegible] मेव साकिन डेह - खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है। [illegible] सभी हिस्सों का योग

— 4

खण्ड अधिकारी
(भरतपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

A/17

करने पर हिस्सा पूर्ण नही होता है तथा 1/6 हिस्सा कम दर्ज हुआ है, जबकि सावलेन्ट रिकार्ड मे वादी भगवती का 1/6 हिस्सा दर्ज होता चला आ रहा है, इससे यह साबित होता है कि हाल रिकार्ड मे वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज नही किया गया है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान ने भी अपने बयानों मे वादी का मौके पर कब्जा होने की ताईद की है। इस प्रकार उक्त समस्त विवेचनानुसार वादी अपने वाद को साबित करने मे सफल रहा है तथा वाद वादी डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि - दावा वादी डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 133/0-24 वाके ग्राम नीमदी तह० नगर के 1/6 हिस्सा पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।

ह०

(अमानुल्ला खान) उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

निर्णय आज दिनांक 8-1-2013 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ह०

(अमानुल्ला खान) उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

18

डिक्री व मुकदमे इस्तमराईत
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर सिंह आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 87/12 निर्णय दिनांक : 8.1.2013

दरम्यान

भरत सिंह पुत्र भरतलाल जैन निवासी नौगवां तहसील नगर जिला भरतपुर - - - वादी

बनाम

1. राज्य सरकार मारफत तहसीलदार नगर (भरतपुर)
2. जिला कलक्टर भरतपुर

(188/89 आर.टी.एक्ट)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी .... अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री .... मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है। खसरा नं. 123/0.24 वाके ग्राम नौगवां तहसील नगर के 1/6 हिस्सा पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करेंगे।

बतौर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 8.1.2013 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner